

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-55/2017

संस्थित दिनांक 06.02.2017

फाईलिंग नं.-2262017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, रूपझर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - अभियोजन

// **विरुद्ध** //

शैलेन्द्र पिता राधे पंचतिलक उम्र 25 साल,

साकिन सोनपुरी थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - आरोपी

// **निर्णय** //**(आज दिनांक 16/01/2018 को घोषित)**

01- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 354, 506 भाग-दो के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 12.01.2017 को समय रात्रि 23:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत प्रार्थिया का घर ग्राम सोनपुरी में प्रार्थिया का यौन उत्पीड़न करने के आशय से प्रार्थिया के घर में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता था, अवैध रूप से प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन कारित कर प्रार्थिया कु0 सावित्री सोनवाने की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से सीने में हाथ फेरकर एवं मुँह दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं प्रार्थिया को संत्रास करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि प्रार्थिया कु0 सावित्री ने अपनी माँ फूलवंता सोनवाने के साथ थाना आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश की कि दिनांक 12.01.17 को उसकी माँ फूलवंता सोनवाने और दोनों भाई दिनेश, संजय उसकी बुआ के सास की तेरहवीं में ग्राम लूद गये थे और वह घर पर अकेली थी। रात्रि करीब 11:00 बजे वह अपने घर पर कमरे में खाना खाकर आगे पीछे का दरवाजा अंदर से बंद करके लाईट चालू करके सो गई थी, तभी अचानक किसी ने आकर उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी

नींद खुल गई और वह घबरा गई तथा देखा की गांव का शैलेन्द्र पंचतिलक बुरी नियत से उसके सीने में हाथ फेरने लगा और एक हाथ से उसके मुँह को दबा दिया और बोला कि चिल्लाई या किसी को बताई तो जान से खत्म कर देगा। उसने बचने के लिये उसके बांये हाथ में काट लिया, जिससे आरोपी ने प्रार्थिया को छोड़ दिया और वह मौका देखकर सामने का दरवाजा खोलकर बाहर आयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। प्रार्थी एवं आरोपी का मुलाहिजा कराया गया। आरोपी शैलेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 08/17 दिनांक 06.02.17 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 354, 506 भाग-दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी कु0 सावित्री सोनवाने ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 भाग-दो के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 354 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

01. क्या आरोपी ने दिनांक 12.01.2017 को समय रात्रि 23:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत प्रार्थिया का घर ग्राम सोनपुरी में प्रार्थिया का यौन उत्पीड़न करने के आशय से प्रार्थिया के घर में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता था, अवैध रूप से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन कारित किया ?

02. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थिया कु0 सावित्री सोनवाने की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से सीने में हाथ फेरकर एवं मुँह दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

:विवेचना एवं निष्कर्ष:-**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02**

सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी कु0 सावित्री अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना इसी वर्ष 12 जनवरी, 2017 की रात्रि के समय ग्राम सोनपुरी की है। घटना के समय आरोपी से उसका मौखिक विवाद हुआ था, जिसके बाद वह अपने घर चला गया। फिर लोगों के कहने पर उसने घटना के दूसरे दिन आरोपी के विरुद्ध उकवा चौकी में लिखित शिकायत प्र.पी.01 की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 लेख की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस को उसने झगड़े वाली जगह बताई थी और पुलिस ने उसके बताये अनुसार मौका-नक्शा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— साक्षी सावित्री अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 12.01.2017 को वह घर पर अकेली थी और खाना खाकर दरवाजा बंद करके सो गई थी, तभी रात्रि करीब 11:00 बजे अचानक किसी ने उसका गला दबा दिया था तो घबराहट के कारण उसकी नींद खुल गई थी, उसने देखा तो वह आरोपी था जो बुरी नियत से उसके सीने में हाथ फेरने लगा और एक हाथ से उसके मुँह को दबा दिया तथा कहा कि चिल्लाने पर जान से खत्म कर देगा, फिर उसने बचने के लिए उसके हाथ में काट दिया, जिससे उसने उसे छोड़ दिया और वह मौका देखकर सामने का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई, फिर वह भागकर पड़ोसी कुंवरलाल के घर गई और उन्हें पूरी बात बताई, जिसके बाद वह लोग वापस आये परंतु आरोपी घर पर नहीं मिला और पिछला दरवाजा खुला हुआ था, जिसका कब्जा टूटा हुआ था।

07— साक्षी सावित्री अ.सा.01 ने अभियोजन के इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि रात में मम्मी-पापा को फोन नहीं लगा, जिसके बाद उसने सुबह फिर फोन करके अपनी मम्मी को बताया तथा सुबह करीब 9:00 बजे मम्मी और दोनों भाई घर आये जिन्हें उसने पूरी बात बताई, फिर पिताजी के काम से वापस घर आने पर उन्हें पूरी बात बताकर वह अपनी मम्मी-पापा के साथ थाना रूपझर रिपोर्ट लिखवाने गई। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.04 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रही है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी उसके घर नहीं आया था और उनका विवाद घर के बाहर हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

08— साक्षी फूलवंताबाई अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। प्रार्थिया सावित्री उसकी पुत्री है। घटना इसी वर्ष जनवरी माह की रात्रि के समय ग्राम सोनपुरी की है। घटना के समय आरोपी से उसकी पुत्री का मौखिक विवाद हुआ था, जिसके बाद वह अपने घर चला गया था। फिर लोगों के कहने पर उसकी पुत्री ने घटना के दूसरे दिन आरोपी के विरुद्ध उकवा चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 12.01.2017 को वह अपने दोनों लड़कों के साथ नंद की सास की तेरहवीं कार्यक्रम में ग्राम लूद गई थी और उसके पति दिनांक 07.01.2017 को काम करने के लिये कुल्पा कावले चले गये थे, रात्रि होने के कारण वह लोग ग्राम लूद में ही रुक गये थे।

09— साक्षी फूलवंताबाई अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 13.01.2017

को उसकी पुत्री ने फोन करके बुलाया कि मम्मी जल्दी आ जाओ वह बहुत परेशान है तब वह अपने दोनों लड़कों को लेकर करीब 9:00 बजे सुबह घर पहुँची तो उसकी पुत्री रोने लगी, उसकी पुत्री ने उसे बताया कि वह घर पर अकेली थी और खाना खाकर दरवाजा बंद करके सो गई थी तभी रात्रि करीब 11:00 बजे किसी ने अचानक उसका गला दबा दिया था तो घबराहट के कारण उसकी नींद खुल गई थी और वहाँ पर आरोपी था जो बुरी नियत से उसके सीने में हाथ फेरने लगा और एक हाथ से उसके मुँह को दबा दिया तथा कहा कि चिल्लाने पर जान से खत्म कर देगा, फिर उसने बचने के लिए उसके हाथ में काट दिया, जिससे उसने उसकी पुत्री को छोड़ दिया और वह मौका देखकर सामने का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई, फिर वह भागकर पड़ौसी कुंवरलाल के घर गई और उन्हें पूरी बात बताई, जिसके बाद उन लोगों के वापस आने पर आरोपी घर पर नहीं मिला और पिछला दरवाजा खुला हुआ था तथा उसका कब्जा टूटा हुआ था, फिर उसके पति के काम से वापस घर आने पर उन्हें पूरी बात बताकर वह लोग अपनी लड़की के साथ थाना रूपझर रिपोर्ट लिखवाने गये। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.05 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रही है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसकी पुत्री का केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी उनके घर नहीं आया था और उनका विवाद घर के बाहर हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उनका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह लोग उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

10— साक्षी मदन सोनवाने अ.सा.03 ने कथन किया हैं कि वह आरोपी को जानता है। प्रार्थिया सावित्री उसकी पुत्री है। घटना इसी वर्ष जनवरी माह की रात्रि के समय ग्राम सोनपुरी की है। घटना के समय आरोपी से उसकी पुत्री का मौखिक विवाद हुआ था, जिसके बाद वह अपने घर चला गया था। फिर लोगों के कहने पर उसकी पुत्री ने घटना के दूसरे दिन आरोपी के विरुद्ध

उकवा चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

11— साक्षी मदन सोनवाने अ.सा.03 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह दिनांक 07.01.2017 को काम करने के लिये कुल्पा कावले चला गया था और उसकी पत्नि दोनों लड़कों को लेकर ग्राम लूद गई थी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 13.01.2017 को उसकी पत्नि ने फोन करके उसे बुलाया जिसके बाद करीब 11:00 बजे घर पहुँचने पर उसकी पुत्री ने उसे बताया कि वह घर पर अकेली थी और खाना खाकर दरवाजा बंद करके सो गई थी तभी रात्रि करीब 11:00 बजे किसी ने अचानक उसका गला दबा दिया था तो घबराहट के कारण उसकी नींद खुल गई थी और वहाँ पर आरोपी था जो बुरी नियत से उसके सीने में हाथ फेरने लगा और एक हाथ से उसके मुँह को दबा दिया तथा कहा कि चिल्लाने पर जान से खत्म कर देगा, फिर उसने बचने के लिए उसके हाथ में काट दिया जिससे उसने उसकी पुत्री को छोड़ दिया और वह मौका देखकर सामने का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई, फिर वह भागकर पड़ौसी कुंवरलाल के घर गई और उन्हें पूरी बात बताई जिसके बाद उन लोगों के वापस आने पर आरोपी घर पर नहीं मिला और पिछला दरवाजा खुला हुआ था तथा उसका कब्जा टूटा हुआ था, फिर वह लोग अपनी लड़की के साथ थाना रूपझर रिपोर्ट लिखवाने गये। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.06 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने अस्वीकार किया है कि आरोपी से समझौता हो गया है इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

12— साक्षी मदन सोनवाने अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसकी पुत्री का केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी उनके घर नहीं आया था और उनका विवाद घर

के बाहर हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उनका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह लोग उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

13— साक्षी पूर्णिमा राणा अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 13.01.2017 को थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 06/17 अंतर्गत धारा-354, 506, 457 भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा प्रार्थी सावित्री तथा गवाह मदनलाल, फूलवंताबाई एवं दिनांक 18.01.2017 को गवाह केशरबाई तथा कुंवरलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। दिनांक 14.01.2017 को फरियादी सावित्री तथा आरोपी शैलेन्द्र का मुलाहिजा करवाया गया था तथा उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा घटनास्थल ग्राम सोनपुरी जाकर प्रार्थी सावित्री की निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी शैलेन्द्र को गवाह मन्नूलाल एवं राजेश के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.07 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी शैलेन्द्र के हस्ताक्षर हैं। संपूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

14— साक्षी पूर्णिमा राणा अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उसने प्रार्थी सावित्री, गवाह मदनलाल, फूलवंता, कुंवरलाल, केशरबाई के कथन अपने मन से लेख कर लिये थे। यदि फरियादी सावित्री तथा गवाहों ने आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित न करना व्यक्त किया हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि मौका-नक्शा प्र.पी.03 उसने थाने में बैठकर तैयार किया था, उसने गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.07 अपने मन से तैयार किया था और आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार नहीं किया था, प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा

लेखबद्ध नहीं की गई है, फरियादी सावित्री द्वारा थाने में घटना के संबंध में रिपोर्ट नहीं की थी और उनके द्वारा आरोपी के विरुद्ध झूठी शिकायत दर्ज की गई है, फरियादी सावित्री ने थाने में उपस्थित होकर मात्र विवाद के संबंध में मौखिक शिकायत की थी, परंतु उनके द्वारा आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया गया है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि फरियादी की मुलाहिजा रिपोर्ट में उसे किसी प्रकार की चोट न होना लेख किया गया है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी को घटना के पहले से ही चोट थी और उनके द्वारा उसे झूठा फँसाने के लिये घटना के समय चोट दर्शाई गई थी।

15— फरियादी सावित्री अ.सा.01 घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना होने से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में अन्य साक्षीगण फूलवंताबाई अ.सा.02 तथा मदन सोनवाने अ.सा.03 ने भी घटना से स्पष्ट इंकार कर यह व्यक्त किया है कि आरोपी उनके घर नहीं आया था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उनका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी शैलेन्द्र पंचतिलक ने दिनांक 12.01.2017 को समय रात्रि 23:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत प्रार्थिया का घर ग्राम सोनपुरी में प्रार्थिया का यौन उत्पीड़न करने के आशय से प्रार्थिया के घर में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता था, अवैध रूप से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन कारित कर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से सीने में हाथ फेरकर एवं मुँह दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः आरोपी शैलेन्द्र पंचतिलक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 354 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

- 16— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 17— प्रकरण में आरोपी दिनांक 14.01.2017 से दिनांक 10.02.2017 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 18— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।
निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही /—
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला बालाघाट

सही /—
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला बालाघाट